

# प्रारूप-6

(उ०प्र० प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली-2009)

## उत्तर प्रदेश सरकार

### प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने के लिये निर्गत अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण

अनुज्ञप्ति सं:-429/उ०प्र०/प्रा०सु०अभि०/(गौतमबुद्धनगर-153)-नवीनी.-240/2017 (138)

श्री अंकुर चौधरी पुत्र श्री अनिल चौधरी निवासी एस-73, ग्रेटर कैलाश-2, द्वितीय तल नई दिल्ली-110048 को उनकी माँ श्रीमती शैलजा चौधरी पत्नी श्री अनिल चौधरी निवासी एस-168, तृतीय तल, जी०के०-2, नई दिल्ली-110048 के साथ प्लॉट नं०-338, ग्राम सुतियाना ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के पते पर स्थित कार्यालय से " प्रोमैन् सेक्युरिटेक प्राइवेट लिमिटेड " के नाम से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में मात्र प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का व्यवसाय प्रचालन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पूर्व में दिनांक:13-03-2012 को अनुदत्त अनुज्ञप्ति का एतद्द्वारा नवीनीकरण किया जाता है।

जारी करने का स्थान : लखनऊ

नवीनीकरण करने की तारीख : 26-02-2018

यह नवीनीकृत अनुज्ञप्ति 25-02-2023 तक वैध है।



हस्ताक्षर

अनुदत्त प्राधिकारी का नाम- आनन्द कुमार,

आई.पी.एस.

(आनन्द कुमार)

अपर पुलिस महानिदेशक

पदनाम-नियंत्रक प्राधिकारी, प्रा०सु०अभि०/अपर कायदा एवं व्यवस्था, उ०प्र०

पुलिस महानिदेशक

लखनऊ

कानून-व्यवस्था, उत्तर प्रदेश

कार्यालय का पता-मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र०